रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219668
CG-DL-E-01062020-219668

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1524] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942
No. 1524] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

का.आ. 1694(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (।।) में का.आ. संख्या 2265 (अ.) तारीख 4 जून, 2018 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की अधिसूचना, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि:-

1(क) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 लागू होने के पश्चात 9 महीने की अवधि समाप्त हो जाने तक कोयला तथा लिग्नाइट की सभी श्रेणियों तथा रेत भराई के लिए रेत खनन हेतु खनन योजना का अनुमोदन देने के लिए अधिनियम की धारा 5 की उप- धारा 2 के खंड (ख) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों का प्रयोक्तव्य परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय द्वारा भी किया जाएगा।

(ख) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 के लागू होने के नौ माह की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात से ही कोयला तथा लिग्नाइट की सभी प्रवर्गों तथा रेत भराई के लिए, रेत खनन हेतु, खनन योजना का अनुमोदन देने के लिए अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों का प्रयोक्तव्य कोयला नियंत्रक, कोलकाता (कोयला नियंत्रक संगठन, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) द्वारा भी किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात से ही उपरोक्त नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा खनन योजना के संबंध में दिए गए किसी भी आदेश अथवा निदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे किए गए आदेशों अथवा संबंधित निर्देशों के पुनरीक्षण के लिए सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन कर सकेगा है।

[फा. सं. 34011/28/2019-सीपीएएम]

भबानी प्रसाद पति,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2020

S.O. 1694(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and in supersession of the notifications of the Government of India, Ministry of Coal published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.2265 (E), dated the 4th June, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that,—

1.(a) on and from the date of publication of this notification and upto the expiry of a period of nine months from the commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2020, the power to approve mining plan for all categories of coal and lignite and sand mining for stowing, exercisable by the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Act, shall also be exercisable by the Project Adviser, Ministry of Coal;

(b) on and from the expiry of aperiod of nine months from the commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2020, the power to approve mining planfor all categories of coal and lignite and sand mining for stowing, exercisable by the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Act, shall also be exercisable by the Coal Controller, Kolkata, (Coal Controller's Organization being a subordinate office of the Government of India in the Ministry of Coal).

2. On and from the date of publication of this notification, any person aggrieved by any orders made or directions issued in respect of mining plan by an officer designated above may, apply to Secretary to Government of India, Ministry of Coal, for revision of such order made or directions issued thereon.

[F. No. 34011/28/2019-CPAM]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.01 20:17:45 +05'30'